भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1742

05 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

एसबीएम-यू 2.0 की प्रगति और कार्यान्वयन

†1742. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लिः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में पुराने लैंडफिल क्षेत्रों को साफ करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 के अंतर्गत प्राप्त लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जैविक तरीके से अपशिष्ट निवारण के लिए एसबीएम-यू 2.0 के वित्तपोपण हेतु किसी कार्य योजना का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) आन्ध्र प्रदेश में अपशिष्ट निवारण हेतु कुल प्रस्तावित भूमि में से मूल स्थिति में वापस लाई गई भूमि और निकाले गए अपशिष्ट का जिला-वार ब्यौरा क्या है:

(घ) मौजूदा और प्रस्तावित मल-जल शोधन संयंत्रों (एसटीपी) और अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) संयंत्रों का निवेश और स्थान सहित राज्य-वार विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एसबीएम शहरी 2.0 के अंतर्गत वर्ष 2025-26 तक लैंडफिल क्षेत्रों को साफ करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ड.): स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू) 2.0 का शुभारंभ 1 अक्टूबर, 2021 को पांच वर्ष की अवधि के लिए किया गया है, जिसका उद्देश्य सुरक्षित स्वच्छता, कचरे के सभी हिस्सों का वैज्ञानिक प्रबंधन और पुराने कूड़ा-स्थलों का सुधार करना है। पुराने कूड़ा-स्थल दशकों में बनाए गए हैं और इनका सुधार बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य हैं। पहली बार, स्वच्छ भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय स्तर पर इन कूड़े के ढेरों को खत्म करने का काम शुरू किया गया है।

सुधार हेतु कुल 2417 कूड़ा-स्थल (1000 टन से अधिक कचरे वाले) 24.88 करोड़ मीट्रिक टन कचरे की पहचान की गई है, जो सामूहिक रूप से 14,732.66 एकड़ क्षेत्र में फैले हुए हैं। इनमें से 641 कूड़ा-स्थल का पूरी तरह से सुधार किया जा चुका है और 1144 साइटों पर काम चल रहा है। कुल 12.66 करोड़ मीट्रिक टन (51%) कचरे का शोधन किया जा चुका है और 5694.86 एकड़ (39%) भूमि को पुनः प्राप्त किया गया है। एसबीएम-यू 2.0 के तहत 3697.90 करोड़ रुपये की स्वीकार्य केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ 9197.35 करोड़ रुपये के सुधार प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 के तहत देश के शहरी क्षेत्रों में पुराने कूड़ा-स्थलों के सुधार और पुनः प्राप्त की गई भूमि की राज्य-वार जानकारी अनुलग्नक में दी गई है।

(ख): आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में पुराने कूड़ा-स्थलों के सुधार के लिए 469.88 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है, जिसमें 167.25 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा शामिल है। अनुमोदित केंद्रीय हिस्से में से 54.58 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

(ग): आंध्र प्रदेश राज्य में 86 लाख टन (लगभग) कचरे वाले कुल 128 कूड़ा-स्थलों को चिह्नित किया गया है, जो 1000 एकड़ (लगभग) भूमि को कवर करते हैं। इनमें से 45 लाख मीट्रिक टन कचरे का शोधन किया जा चुका है और 200 एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त किया जा चुका है, जैसा कि राज्य द्वारा स्वच्छतम पोर्टल पर बताया गया है। पुनः प्राप्त भूमि और शोधित कचरे का जिलावार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, यूएलबी-वार ब्यौरा वेबसाइट https://sbmurban.org/swachh-bharat-mission-progess पर उपलब्ध है।

(घ): अमृत के तहत 40 एमएलडी क्षमता के सीवेज शोधन संयत्र (एसटीपी) विकसित किए गए हैं और 165 एमएलडी विकास/कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा, अमृत 2.0 के तहत 401.97 एमएलडी क्षमता वाले 60 नए एसटीपी अनुमोदित किए गए हैं।

एसबीएम-यू 2.0 के तहत राज्य को 76 यूएलबी में 692.09 एमएलडी के लिए अनुमोदन मिला और इनमें से 113 एमएलडी क्षमता वाले 45 एसटीपी विकास/निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापत्तनम और गुंटूर में पीपीपी मोड में दो डब्ल्यूटीई परियोजनाएं कार्यात्मक हैं।

*****

अनुलग्नक

"एसबीएम-यू 2.0 की प्रगति और कार्यान्वयन" के संबंध में दिनांक 05.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1742 के भाग (क) और (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कूड़ा-स्थलों की कुल संख्या	पुराने अपशिष्ट की मात्रा (लाख टन में)	शोधित अपशिष्ट की मात्रा (लाख टन में)	शोधन का %	क्षेत्रफल (एकड़ में)	पुनः प्राप्त क्षेत्र (एकड़ में)	पुनः प्राप्त क्षेत्र का %
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0.86	0.81	94%	3	3	100%
2	आंध्र प्रदेश	128	85.66	40.85	48%	1,025.49	307	30%
3	अरूणाचल प्रदेश	9	0.36	0.17	47%	49.33	5	10%
4	असम	21	24.93	8.18	33%	119.39	12	10%
5	बिहार	58	33.64	11.61	35%	274.39	98.3	36%
6	चंडीगढ़	2	12.77	12.77	100%	28	20	71%
7	छत्तीसगढ़	12	7.1	7.06	99%	87.2	83.2	95%
8	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	2	1.4	0	0%	7.36	0	0%
9	दिल्ली	3	203	76.98	38%	202	0	0%
10	गोवा	4	17.97	1.28	7%	14.73	1	7%
11	गुजरात	144	220.72	216.37	98%	930.47	819.34	88%
12	हरियाणा	91	107.28	69.83	65%	388.83	241.56	62%
13	हिमाचल प्रदेश	10	5.14	2.42	47%	20.79	1	5%
14	जम्मू और कश्मीर	34	22.5	2.47	11%	125.58	17.38	14%
15	झारखंड	38	31.29	1.32	4%	141.44	8.25	6%
16	कर्नाटक	206	173.71	7.8	4%	1,222.40	43	4%
17	केरल	35	12.79	3.5	27%	160.63	49	31%
18	लद्दाख	1	1.32	0	0%	28	0	0%
19	मध्य प्रदेश	167	59	23.4	40%	803.63	366.3	46%
20	महाराष्ट्र	236	506	186.74	37%	1,740.00	825.13	47%
21	मणिपुर	5	1.6	1.02	64%	10.96	5	46%
22	मेघालय	6	4	0	0%	7.81	0	0%
23	मिज़ोरम	2	7.84	7.84	100%	3	3	100%
24	नागालैंड	12	8.1	0	0%	51.52	0	0%
25	ओडिशा	83	41.29	16.91	41%	416.37	276	66%
26	पुडुचेरी	2	1.11	0.94	85%	11	0	0%
27	पंजाब	108	71.48	31.3	44%	539.76	198.33	37%
28	राजस्थान	190	107.55	43.17	40%	1,869.39	511.64	27%

29	सिक्किम	2	2.54	0.93	37%	20.52	0	0%
30	तमिलनाडु	296	190.5	91.02	48%	1,916.95	974.7	51%
31	तेलंगाना	114	158.13	128.63	81%	1041.95	375	36%
32	त्रिपुरा	15	5.6	1.58	28%	39.11	8	20%
33	उत्तर प्रदेश	227	155.08	121.5	78%	952.58	535.65	56%
34	उत्तराखंड	37	14.73	7.81	53%	141.89	48	34%
35	पश्चिम बंगाल	118	143.73	9.18	6%	710.94	46.73	7%